वर्मा, परांजपे और ओटवानी बनाए गए सीनियर एडवोकेट

हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने गुरुवार को लिया निर्णय, अब अन्य वकीलों के माध्यम से कर सकेंगे पैरवी

सिटी रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने तीन वकीलों को सीनियर एडवोकेट के तौर पर नियुक्ति की है। इनमें अशोक कुमार वर्मा, मनोज परांजपे और सुनील ओटवानी के नाम शामिल हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में फुल कोर्ट ने गुरुवार को यह निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तीन सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की है। यह निर्णय 7 अगस्त 2025 को फुल कोर्ट की बैठक में लिया गया। बता दें कि तीनों सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। संवैधानिक, सिविल, सर्विस मामलों के जानकार हैं। वहीं, ओटवानी अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके हैं। उन्होंने कई अहम मामलों में पैरवी की है। उन्हें कई मामलों में न्याय मित्र बनाया गया है।

सीनियर का दर्जा इसलिए महत्वपूर्ण

सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित होना प्रतिष्ठित उपलब्धि मानी जाती है। अब वे सीधे मुवक्किल से केस नहीं ले सकेंगे। बल्कि किसी अन्य वकील के माध्यम से ही मामलों की पैरवी कर सकेंगे।